# न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

## रसद प्रार्थना पत्र संख्या 12/2025

राजस्थान सरकार जरिये खेमाराम, प्रवर्तन अधिकारी केकड़ी, अजमेर।

........प्रार्थी

बनाम

श्री प्रधान रेगर पुत्र श्री हीरालाल रेगर

फर्म कमल ऑटो सर्विस सेन्टर, फतेहगढ

ग्रा.प. फतेहगढ तहसील सरवाड जिला अजमेर।

.....अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955**

उपस्थितः श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी – पैरोकार सरकार
श्री प्रधान – अप्रार्थी

***आदेश***

**दिनांक 12.03.2025**

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 25.10.2024 को श्री खेमाराम, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री अतुल कुमार बडाया प्रवर्तन निरीक्षक सावर द्वारा घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर के दुरूपयोग की जांच करने वास्ते कमल ऑटो सर्विस सेन्टर, फतेहगढ ग्रा.पं. फतेहगढ तहसील सरवाड पर पहुँचे मौके पर वक्त जांच फर्म के मालिक ने अपना नाम श्री प्रधान रेगर पुत्र श्री हीरालाल रेगर फतेहगढ निवासी होना बताया मौके पर उक्त दुकान की जांच करने पर 05 घरेलू गैस सिलेण्डर एक इलेक्ट्रीक मोटर लोहे का रेग्यूलेटर पाईप मय इलेक्ट्रीक वायर से जुडे हुये पाये गये है। इस प्रकार मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध रिफलिंग कर व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया है। मौके पर श्री प्रधान रेगर ने घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग के विषय में पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया है न ही इस बाबत कोई लाईसेंस/परमिट/ दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत किये है। उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर बीपीसीएल मार्का के पाये गये मौके पर मैसर्स गायत्री गैस एजेन्सी सरवाड के प्रतिनिधि श्री घनश्याम कामड पुत्र श्री शैतानराम कामड को बुलवाकर वजन तौल कार्यवाही करवायी गयी। जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है।

| S.NO. | S.R.NO. | CO. | T.W. | G.W. | N.W.GAS |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 847343 | BPCL | 16.100 | 16.100 | 00.00 |
| 2 | 220472 | BPCL | 15.700 | 15.700 | 00.00 |

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 916396 | BPCL | 15.700 | 15.700 | 00.00 |
| 4 | 258422 | BPCL | 15.700 | 15.700 | 00.00 |
| 5 | 104896 | BPCL | 29.800 | 15.600 | 14.200 |

इस प्रकार श्री प्रधान रेगर द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लघंन किये जाने के कारण उक्त 05 घरेलू गैस सिलेण्डर, एक इलेक्ट्रीक मोटर लोहे का रेग्यूलेटर पाईप मय इलेक्ट्रीक वायर एवं 14.200 किलोग्राम एलपीजी को जब्त सरकार कर मैसर्स गायत्री गैस एजेन्सी सरवाड को जरिये मैनेजर श्री प्रकाश चन्द सैन अग्रिम आदेशो तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिया गया है। श्री प्रधान रेगर फर्म मालिक मैसर्स कमल ऑटो सर्विस सेन्टर फतेहगढ ग्रा.पं. फतेहगढ तहसील सरवाड द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डरो का व्यावसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(1) सी एवं 7 (1) सी का उल्लंघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत जब्तशुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर, एक इलेक्ट्रीक मोटर, लोहे का रेग्यूलेटर पाईप मय इलेक्ट्रीक वायर एवं 14.200 किलोग्राम एलपीजी को राजसात करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

उक्त पत्रावली जिला कलक्टर केकडी अजमेर से प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। उभय पक्ष द्वारा सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 25.10.2024 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये 05 घरेलू गैस सिलेण्डर, एक इलेक्ट्रीक मोटर, लोहे का रेग्यूलेटर पाईप मय इलेक्ट्रीक वायर एवं 14.200 किलोग्राम एलपीजी को राजसात फरमाया जावें।

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की मुझे जानकारी नही है। शिक्षा के अभाव में जानकारी नहीं होने से उपरोक्त कृत्य किया गया भविष्य में उपरोक्त कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अतः प्रकरण का निस्तारण करावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया, प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 25.10.2024 में अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य स्वतः ही साबित है एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी जुर्म स्वीकार किया गया हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर

कब्जेराज लिये गये 05 घरेलू गैस सिलेण्डर, एक इलेक्ट्रीक मोटर, लोहे का रेग्यूलेटर पाईप मय इलेक्ट्रीक वायर एवं 14.200 किलोग्राम एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बंधु)
**जिला कलक्टर, अजमेर**